महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, आर.सी. सिंह पथ, पटना –800001

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

संस्थाओं को सूचीबद्ध करने हेतु अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रण

क. निगम द्वारा महिलाओं / जेण्डर आधारित विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन हेतु अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

ख. चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर संस्था का निबंधन तीन वर्ष पूर्व हुआ हो। संस्था का वार्षिक टर्न ओवर पूर्व के तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 10.00 लाख हो। संस्था के पास महिलाओं, किशोरियों तथा जेण्डर आधारित विषयों एवं अधिनियमों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो।

ग. अभिरूचि हेतु प्रक्रिया शुल्क रू0 1000.00 मात्र का डी.डी., प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के पक्ष तथा पटना में भुगतेय हो, संलग्न करें।(पुर्नभुगतेय नहीं)

घ. अभिरूचि प्रस्ताव से संबंधित योग्यता, नियम एवं शर्तों आदि को निगम के वेबसाइट www.wdcbihar.org.in के Tender लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

sd–
प्रबंध निदेशक

महिला विकास निगम, बिहार

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, आर.सी. सिंह पथ, पटना –800001

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

संस्थाओं को सूचीबद्ध करने हेतु अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रण

खण्ड–1

कार्य का नाम	महिलाओं एवं किशोरियों तथा जेण्डर आधारित विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन हेतु अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।
प्रक्रिया शुल्क	रू0 1000.00 मात्र, प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के पक्ष में तथा पटना में भुगतेय हो। (पुर्नभुगतेय नहीं)
दस्तावेज	अभिरूचि प्रस्ताव से संबंधित योग्यता, नियम एवं शर्तों आदि को निगम के वेबसाइट www.wdcbihar.org.in के Tender लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	25 जून 2018 (10.00 पूर्वा.)
अभिरूचि प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि	10 जुलाई 2018 (06.00 अप0)
दस्तावेज की जॉच/स्क्रीनिंग	11 जुलाई 2018
शॉर्टलिस्टेड संस्थाओं की सूची का प्रकाशन	प्रथम सप्ताह, अगस्त, 2018
संस्थाओं का भौतिक सत्यापन	द्वितीय सप्ताह , अगस्त, 2018

नोट : प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा समय और शर्तों में बदलाव की शक्तियां अन्तर्निहित है।

खण्ड - 2

संस्थाओं के लिए निर्देश

2.1 परिचयः समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत महिला विकास निगम राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक नोड्ल संस्था है। इसके द्वारा राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं विकास की अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, कन्या उत्थान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, 181 टॉलफ्री महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेन्टर के साथ ही यूनिसेफ के सहयोग से बाल विवाह एव ंदहेज प्रतिषेध योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

अतः महिलाओं तथा किशोरियों से संबंधित मुद्दों/ विषयों पर सामाजिक जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन में अनुभव रखने वाली संस्थाओं से अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

2.2 योग्यता एवं शर्तेंः प्रस्ताव देने वाली संस्थाओं के पास निम्नांकित योग्यता अनिवार्य हैः–

2.2.1 अनिवार्य योग्यता : चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर संस्था का निबंधन कम से कम तीन वर्ष पहले हुआ हो। संस्था का वार्षिक टर्न ओवर रू0 10.00 लाख से कम नहीं हो। संस्था के पास संस्था के नाम से पैन कार्ड अवश्य हो तथा चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन वर्ष का आयकर रिटर्न देने का प्रमाण पत्र हो। संस्था या संस्था में कार्यरत किसी व्यक्ति पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं तथा किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

2.2.2 विशेष योग्यता : प्रस्ताव देने वाली संस्था के पास महिलाओं, किशोरियों एवं जेण्डर से संबंधित विषयों तथा अधिनियमों पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन हेतु कला जत्था हो और नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हों। अनुभवों को प्रमाणित करने हेतु वैध संस्थानों के साथ सम्बद्धता एवं सरकारी/ प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं का कार्यादेश एवं कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.2.3 यदि किसी संस्था अनुबंध करने के पश्चात् कार्य सम्पादन नहीं करता है तो उसकी बैंक गारंण्टी की राशि जब्त करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

2.2.4 निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा इसके विरूद्ध संस्था का दावा मान्य नहीं होगा।

2.2.5 इम्पैनलमेंट एक वर्ष के लिए होगा जिसे अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

खण्ड - 3

प्रपत्र

नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन हेतु संस्था इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव–प्रपत्र

3.1 कार्य का नाम : महिलाओं, किशोरियों एवं जेण्डर से संबंधित मुद्दों यथा– बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन, घरेलू हिंसा, मानव पणन, भ्रूण हत्या, बालिका शिक्षा आदि एवं इनसे संबंधित अधिनियमों पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन में अनुभव रखने वाली संस्थाओं का महिला विकास निगम, बिहार द्वारा इम्पैनलमेंट हेतु निम्नांकित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता हैः–

3.2 संस्था/फर्म का नाम :

3.3 पंजीकृत संस्था/फर्म का पता :

3.4 दूरभाष नं./फेक्स/मोबाइल नं. :

3.5 संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जाये)

3.6 पंजीयन की वैधता तिथि :

3.7 संस्था के मुख्य कार्यालय से पृथक यदि कोई अन्य शाखा/ कार्यालय हो तो उसका पूर्ण विवरण, पता, फोन नम्बर आदि बतायें।

3.8 संस्था की वित्तीय स्थिति (चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर विगत तीन वर्ष)

3.9 बैंकों के नाम,पते एवं दूरभाष क्रमांक जिनमें संस्था के खाते संचालित हों।

3.10 संस्था के चलित राशि का विवरण (विगत 3 वर्ष का ऑडीटेड आय–व्यय तथा बैलेंस शीट संलग्न की जाये)

3.11 संस्था द्वारा दिनांक 31.3.2018 तक शासन को देय सभी करों के भुगतान की प्रमाणित छायाप्रति

3.12 संस्था का स्थाई आयकर नं.(पेन नं.):

3.12 क्या किसी विधि/सक्षम न्यायालय में संस्था के विरूद्ध कोई दावा या वाद प्रचलन में है ? यदि हॉ तो संबंधित न्यायालय का नाम एवं वाद/दावा के स्वरूप का विवरण अंकित करें।

3.13 संस्था का पूर्व अनुभव (विगत 3 वर्ष) का संपूर्ण विवरण दें ।

3.14 शासकीय/अर्द्ध शासकीय संगठन का नाम व पता जिसमें कार्य किया हो तथा कार्यावधि।

3.15 संस्था को कार्य आवंटन होने की स्थिति में अनुबंध की राशि के अनुपात में बैंक गारंटी देने हेतु शपथ पत्र

3.16 संस्था के पास उपलब्ध संसाधन (तकनीकी/मानवीय) का पूर्ण विवरण दें।

3.17 अन्य आवश्यक जानकारी, यदि हो तो।

संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

घोषणा – पत्र

एतद् द्वारा मैं ....पुत्र/पुत्री श्री...
.... निवासी ....
(पूर्ण पता) यह घोषणा करता हूँ कि मैं ....
....(संस्था का नाम एवं पता)
हूँ तथा मेरे द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक जागरूकता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्ते स्वीकार हैं। मैं निगम द्वारा निर्धारित दरों एवं अनुबंध की शर्तों पर कार्य सम्पादन वचन देता हूँ।

संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

4.0 परिभाषाएँ

4.1 महिला विकास निगम से तात्पर्य महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, द्वितीय तल, इंदिरा भवन, पटना से है।

4.2 संस्था से तात्पर्य राज्य द्वारा निर्धारित अधिनियमों यथा – सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कम्पनी एक्ट, सहकारी समिति अधिनियम तथा ट्रस्टशिप एक्ट में निबंधित सोसायटी या कम्पनी से है।

4.3 कार्य से तात्पर्य महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं हेतु नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्य।

4.4 प्रबंध निदेशक से तात्पर्य महिला विकास निगम के प्रबंध निदेशक से है।

4.5 कार्यपालक पदाधिकारी से तात्पर्य प्रस्ताव समर्पित करने वाली संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी / सचिव / कार्यपालक निदेशक से है।

5.00 इम्पैनलमेंट संस्था की पात्रता

5.1 इम्पैनलमेंट होने वाली संस्था के प्रमुख को भारतीय नागरिक होना चाहिए।

5.2 संस्था को भारत के किसी राज्य में निबंधित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

5.3 संस्था की वार्षिक चलित राशि या टर्न ओभर कम से कम पूर्व के तीन वर्षों में प्रति वर्ष रू0 10 लाख अवश्य होना चाहिए।

5.4 संस्था को कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए।

5.5 संस्था किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था/ दाता संगठन के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए।

5.6 संस्था या उसके कर्मचारी पर कोई वाद लम्बित नहीं हो, ना ही कोई वाद लाया गया हो।

5.7 संस्था को कार्यानुभव प्रमाण पत्र, संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, वैध पैन कार्ड, जी.एस.टी, तीन वर्षों के आयकर रिटर्न आदि के सत्यापित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.8 निगम द्वारा कोई भी संशोधन संस्था के लिए बाध्यकारी होगा तथा किसी भी संशोधन को संस्था को जानकारी दे दी जायेगी।

5.8 संस्था को कार्य आवंटन की स्थिति में अनुबंध का अधिकतम 5 प्रतिशत राशि परफॉरमेंस गारण्टी के रूप में निगम में जमा करानी होगी।

6.00 अनुलग्नक

संस्था द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जावें :–

संस्था अपने प्रस्ताव के साथ ऐसे विवरण एवं लिखित साक्ष्य संलग्न करेगी, जिनसे कार्य को करने की उसकी क्षमता, योग्यता तथा पात्रता सिद्ध होती हो। इसका निर्णय निगम के अधीन रहेगा तथा इसके संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद के निराकरण का अपीलीय अधिकार प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार को होगा।

1. प्रक्रिया शुल्क की राशि रू0 1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट 'प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के नाम देय तथा पटना में भुगतेय होगा।
2. निबंधन का प्रमाण पत्र एवं निबंधित दस्तावेज।
3. तीन वर्ष का अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रमाण पत्र।
4. संस्था का पैन कार्ड एवं आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र तथा जीएसटी में निबंधन का प्रमाण पत्र।
5. किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन के लिए सम्बद्धता का प्रमाण पत्र एवं जिला पदाधिकारी स्तर से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।